राजद समाचार

आजादी, समानता और भाईचारा

अंक-28 मासिक नवम्बर, 2023 सहयोग राशि–40 रुपये

इस बार

रपट

युसुफ मेहर अली पर आयोजित परिचर्चा- मुकुंद सिंह 03

जाति गणना

आरक्षण विस्तार के निहितार्थ- योगेन्द्र यादव 06

सरकारी-निजी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का विश्लेषण- नेत्रपाल 08

जाति गणना से संबंधित कुछ जरूरी आंकड़े 09

समसामयिक

बिहार सरकार ने की नौकरियों की बरसात-नरेश हरिहर 11

नौकरियों का यह क्रम रूकनेवाला नहीं है- तेजस्वी प्रसाद यादव 12

सिर्फ भारत ही नहीं क्रिकेट की भी हार- कल्लोल चक्रवर्ती 14

'न्यूज क्लिक' प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात-डॉ. दिनेश पाल 17

पराली संकट : अनियंत्रित जीवन शैली और नीतियों का परिणाम- जगदानंद सिंह 19

संविधान दिवस पर

संविधान हाशिये के समाज का मैग्नाकार्टा-डॉ. अनीश कुमार 21

संविधान दिवस पर कुछ चिंताएं-कॅवल भारती 22

संविधान निर्माण से जुड़ी महिलाएं-ई. संतोष यादव 24

पठन-पाठन/गोडसे की तंग गलियों में-उर्मिलेश 28

स्त्रीकाल के सिनेमा विशेषांक पर शंभु गुप्त 35

श्रद्धांजलि/ अर्जुन मंडल पर अशोक कुमार सिन्हा 36

रामधनी सिंह पर दुर्गेश कुमार 38

कवि का पन्ना/ रामश्रेष्ठ दीवाना 40

सम्पादक

अरुण आनंद

सहयोग

कवि जी/ डॉ. दिनेश पाल

जगदानन्द सिंह

प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-01 द्वारा प्रकाशित एवं वितरित

राजद समाचार की ईमेल आईडी

samacharrjd@gmail.com

जाति गणना और उससे उपजे कार्यभार

सरकार ने अंततः बिहार जाति गणना के सामाजिक, आर्थिक आंकड़े विधानसभा में जारी कर दिये। जारी ही नहीं किया, इस गणना का जो उद्देश्य है, उस दिशा में भी ठोस पहल कर दी है। कुल मिलाकर बिहार में आरक्षण का कोटा अब 75 प्रतिशत हो गया है। इसमें 20 फीसदी दलित, 2 फीसदी आदिवासी, 18 फीसदी पिछड़े वर्ग और और 25 फीसदी कोटा अति पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों की रिक्तियों में आरक्षित कर दिया गया है। 10 फीसदी आरक्षण ई.डब्लू. एस के तहत सवर्ण वर्गों के लिए पहले से आरक्षित था। सरकार के इस निर्णय पर बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर की भी मुहर लग चुकी है। सरकार की यह बहुत ही ठोस और मजबूत पहल है जिसके दूरगामी प्रभाव हमारी राजनीति और समाज में कई रूपों में परिलक्षित होंगे। स्वभाविक है सवर्ण वर्चस्व आधारित मीडिया अपने पुराने स्वभाव के मुताबिक अब भी इसे देश तोड़क कदम के बतौर ही स्थापित करने पर आमादा है। और जैसाकि अपेक्षित था कि इस फैसले को जातिवादी तत्वों ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने सही ही कहा है कि इस चुनौती के पीछे भाजपा का हाथ है।

जाति गणना के बाद भी मीडिया का यह सवर्ण राग थमा नही है। वह वास्तविक आंकड़े को गौण कर रही है और गौण आंकड़ों को संदर्भों से काटते हुए पेश कर रही है। इस संदर्भ में वह लगातार न सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है अपितु वह दलितों-पिछड़ों और व्यापक मास को भी उनके खिलाफ बरगला रही है। मीडिया सवर्ण जातियों में गरीबी को तो दिखला रही है, लेकिन अमीरी का प्रतिशत भी उसी वर्ग में ज्यादा है, इस बात को छिपा ले रही है। सरकारी नौकरी में अपनी संख्या से कई गुना अधिक सवर्ण भागीदारी के सवाल उनके लिए खबर नहीं बनती, क्योंकि उसमें उनके जातीय हित आड़े आते रहे हैं। जाति गणना की यह रिपोर्ट बतलाती है कि साढ़े 10 प्रतिशत सवर्ण हिन्दू जातियां 29 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में हैं। मुसलमानों में सवर्णो की यह स्थिति इसके ठीक उलट है। पठान, शेख की नौकरियों में भागीदारी उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम है। करीब 5 फीसदी सवर्ण मुसलमान महज 2 फीसदी सरकारी नौकरियों में हैं। 36 प्रतिशत आबादी वाली अति पिछड़ी जातियां सरकारी नौकरी में महज 23 प्रतिशत हैं। दलित जाति समूह की यह हिस्सेदारी 14 प्रतिशत और आदिवासी वर्ग समूह की 1.47 प्रतिशत है। इससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि आरक्षण में किस कदर बैकलॉग रहा है और अति पिछड़ों के हिस्से की नौकरियां किधर जा रही हैं।